भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 510*

(सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

एटा जिले में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि

***510. श्री देवेश शाक्यः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एटा जिले में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई और तत्संबंधी परियोजना-वार, मद-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एटा जिले में विशेषकर जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना के आस-पास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क): <u>एटा जिले में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत व्यय की गई धनराशि के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 2026 के लिए लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 510 (10वां स्थान) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) एवं (ख): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित परियोजनावार डाटा सहित, समस्त डाटा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए वार्षिक विवरण के आधार पर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में किसी भी प्रकार की सीएसआर राशि व्यय करने की सूचना नहीं दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): कंपनी अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। यह समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची सातवीं में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा दी गई है। सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशेष कार्यकलाप के लिए कंपनियों को कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

अनुलग्नक

दिनांक 30.03.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 510 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के एटा जिलें में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय				
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	शिक्षा	0.00	-	-
2.	स्वास्थ्य देखभाल	0.12	0.08	-
	कुल	0.12	0.08	-

(31.03.2025 तक डाटा) (स्रोत्र: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)
